

भारत सरकार  
पर्यटन मंत्रालय  
लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. +1181

शनिवार, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 (शक)  
को दिया जाने वाला उत्तर

विदेशी पर्यटकों को छूट

**+1181.** श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने संरक्षित क्षेत्र अनुमत्य व्यवस्था के अन्तर्गत विदेशी पर्यटकों को प्रतिबंध से छूट प्रदान की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) सरकार द्वारा भारत में आरोग्य पर्यटन के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (घ) **2019-20** के दौरान भारत में पर्यटन के प्रवाह की प्रवृत्ति क्या है?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख): गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अभी हाल में विदेशी पर्यटकों को कोई ऐसी छूट प्रदान नहीं की गई है। तथापि केंद्र सरकार ने संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी)/प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी) जारी करने के लिए निम्नलिखित शक्तियों को प्रत्यायोजित किया है।

(i) यदि एक विदेशी नागरिक संरक्षित/प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित एक स्थान की यात्रा करना चाहता है, जो पर्यटन वीजा पर पर्यटन के लिए खुला नहीं है तो संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश प्रशासन का गृह विभाग या एफआरआरओ यथा स्थिति पीएपी या आरएपी जैसा भी मामला हो, जारी कर सकता है। तथापि, यदि विदेशी नागरिक के पास पर्यटक वीजा के अलावा कोई अन्य वीजा है और केवल पर्यटन के प्रयोजनार्थ संरक्षित/प्रतिबंधित क्षेत्र की यात्रा करना चाहता है तो उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा पीएपी/आरएपी जैसा भी मामला हो, प्रदान किया जा सकता है।

(ii) वैयक्तिक विदेशी पर्यटक (पूर्व संदर्भ श्रेणी (पीआरसी) देशों के नागरिकों या ऐसे पीआरसी देशों के मूल नागरिकों के अलावा) को पर्यटन के लिए खुले स्थलों की यात्रा करने के लिए संबंधित राज्य सरकार/ संघ शासित प्रशासन का गृह विभाग, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/डिप्टी कमिश्नर या एफआरआरओ द्वारा पीएपी या आरएपी जैसा भी मामला हो, प्रदान किया जा सकता है।

(ग): योग, आर्युवेद और अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों सहित निरोगता पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन के संवर्धन के प्रयोजनार्थ एक अनन्य संस्थागत कार्यढाचा प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय चिकित्सा एवं

निरोगता पर्यटन बोर्ड की स्थापना की गई है। यह बोर्ड एक अमब्रेला संगठन के रूप में कार्य करता है जो एक संगठित तरीके से पर्यटन के इस क्षेत्र को बढ़ावा देता है।

पर्यटन मंत्रालय ने एक निश पर्यटन उत्पाद के रूप में निरोगता को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में अन्य के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण प्रचार सामग्री उपलब्ध कराने तथा सेवा प्रदाताओं के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू निरोगता संबंधी आयोजनों में सहभागिता सहित विभिन्न मामलों पर ध्यान दिया गया है।

निरोगता पर्यटन का प्रिंट, टेलीविजन और ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया अकाउन्ट्स और मंत्रालय की वेबसाइट तथा देश के भीतर और विदेश की विभिन्न ट्रेवल माटर्स और प्रदर्शनियों में किए गये मीडिया अभियानों के द्वारा संवर्धन किया गया है।

पर्यटन मंत्रालय बाजार विकास सहायता योजना (एमडीए) के तहत अनुमोदित निरोगता केंद्रों अर्थात् एनएबीएच द्वारा मान्यता प्राप्त निरोगता केंद्रों के प्रतिनिधि या चिकित्सा/पर्यटन मेलों, चिकित्सा सम्मेलनों, निरोगता सम्मेलनों, निरोगता मेलों और संबद्ध रोड शोज में भाग लेने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(घ): आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई) से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2019 और 2020 के दौरान विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) के आंकड़े निम्नानुसार हैं:

माह	2019	2020 (जनवरी-अगस्त)
जनवरी	1111040	1118150
फरवरी	1090516	1015632
मार्च	978236	328462
अप्रैल	774651	0
मई	615136	0
जून	726446	0
जुलाई	818125	0
अगस्त	800837	0
सितम्बर	751513	
अक्टूबर	945017	
नवम्बर	1092440	
दिसम्बर	1226398	

\*\*\*\*\*